मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्र./एफ –10-11/2022/18–2 दिनांक 16/08/2022

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम,
   मध्यप्रदेश

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर परिषद
   मध्यप्रदेश

विषयः– नगरीय निकाय में गैस एजेन्सी को पाईप लाईन डालने की अनुमति एवं सड़क खोदे/काटे जाने पर रोड़ रेस्टोरेशन की नीति निर्धारण के संबंध में।

संदर्भः– 1. म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. /या.प्र./07–5/2019/9119 दिनांक 03.09.2019 ।
2. संचालनालय का पत्र क्र./6495/ई.न.पा./UAD/ दिनांक 26.08.2020 ।

–00–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र. 01 से नगरीय निकायों द्वारा निर्मित सड़कों को अन्य एजेन्सी द्वारा खोदे जाने पर सड़क मरम्मत की दरों का निर्धारण किया गया है। संदर्भित पत्र क्र. 02 से ई–नगर पालिका सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रोड कटिंग परमिशन एवं रोड़ मरम्मत की सुविधा ऑनलाईन प्रदाय किये जाने के संबंध में निर्देश एवं एस.ओ.पी. (SOP) जारी किये गये हैं। नगरीय निकायों में City Gas Distribution (CGD) कंपनियों द्वारा पाईप लाईन नेटवर्क बिछाने के लिये निकाय की सड़कों को काटे/खोदे जाने की अनुमति एवं रोड़ रेस्टोरेशन के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. CGD कंपनी से शहर का एकजाई प्लान प्राप्त कर, आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन की समय–सीमा में एक साथ अनुमति जारी की जाए। CGD कंपनी द्वारा रोड़ कटिंग अनुमति के आवेदन के साथ कंपनी को गैस पाईप लाईन डालने हेतु जारी कार्यादेश की प्रति, ले आउट प्लान तथा इसके अनुसार स्थलों की सूची, वर्क शेड्यूल प्लान इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे।
2. संबंधित निकाय द्वारा CGD कंपनी के साथ रोड़ कटिंग की अनुमति की शर्तों के शत प्रतिशत पालन हेतु रू. 500.00 के स्टाम्प पर अनुबंध संपादित किया जाएगा जिसकी शर्तें संलग्न प्रपत्र 01 अनुसार होंगी।
3. यथा संभव गैस पाईप लाईन सडक के दोनो तरफ डाली जाये, जिससे घरों के कनेक्शन के लिये रोड़ क्रॉसिंग में रोड़ काटने से बचा जा सके। गैस पाईप लाईन यथासंभव सडक के किनारे शोल्डर्स/फुटपाथ में डाली जाए।
4. गैस पाईप लाईन रोड़ के शोल्डर/कच्चे स्थान/फुटपाथ पर डालना संभव न हो एवं पाईप लाईन पक्के रोड़ पर डालने का ही विकल्प हो तो, रोड़ कटिंग के लिये रोड़ कटर का ही उपयोग किया जाए।

E:\AA SIR\Letter\Principal Secretary lettel.docx

5. रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्व से निर्मित सड़क/फुटपाथ के स्पेसिफिकेशन अनुसार ही किया जाए।

6. रोड़ रेस्टोरेशन की दरें निम्नानुसार होगी :–

S.No.	Particular	Unit	Rate/RM
1.	Repairing Of Earthen Surface Beyond One Meter toe Line Of Road & Within Row	RM	141.00
2.	Repairing Of Soft Shoulder And Earthen Surface Up To One Meter From toe Line	RM	1849.00
3.	Repairing Of Hard Shoulder/WBM Surface Road	RM	1977.00
4.	Repairing Of B.T. Surface Road With Bituminous Material	RM	3216.00
5.	Repairing Of B.T. Surface Road With CC Finish	RM	4101.00
6.	Repairing Of C.C. Surface Road With CC Finish	RM	4101.00

i. उक्त गणना के लिए सड़क काटे जाने की न्यूनतम चौड़ाई एक मीटर ली गई है एवं गहराई 1.2 मीटर ली गई, क्योंकि इससे कम चौड़ाई में सड़कों की मरम्मत एवं उचित काम्पेक्शन नहीं हो पाता है। साथ ही खोदी गई मिट्टी एवं मुरूम को पुनः भरने के स्थान पर केवल सी.आर.एम. से भरने का प्रावधान किया गया है, जिससे उचित काम्पेक्शन हो सके।

ii. कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार बी.टी. सर्फेस में भी सीमेंट कांक्रीट के द्वारा मरम्मत की जा सकती है।

iii. यदि एक मीटर से अधिक चौड़ाई में सड़क कटिंग की जाती है तो उक्त दरों की गणना क्षेत्रफल के अनुसार प्रतिवर्ग मीटर में की जायेगी, जो कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

S.No.	Particular	Unit	Rate/sqm
1.	Repairing Of Earthen Surface Beyond One Meter toe Line Of Road & Within Row	SQM	141.00
2.	Repairing Of Soft Shoulder And Earthen Surface Up To One Meter From toe Line	SQM	1849.00
3.	Repairing Of Hard Shoulder/WBM Surface Road	SQM	1977.00
4.	Repairing Of B.T. Surface Road With Bituminous Material	SQM	3216.00
5.	Repairing Of B.T. Surface Road With CC Finish	SQM	4101.00
6.	Repairing Of C.C. Surface Road With CC Finish	SQM	4101.00

iv यदि कहीं सड़क कटिंग की गहराई 1.2 मी. से अधिक होती है तो प्रत्येक 10 से.मी. अतिरिक्त गहराई हेतु रू. 115.00 को उक्त तालिकाओं में वर्णित दरों में जोड़ा जाए।

उपरोक्त दरों में प्रतिवर्ष अप्रैल माह की 01 तारीख को 5% की वृद्धि की जाएगी।

7. रोड़ रेस्टोरेशन के विरूद्ध गैस कंपनी से रेस्टोरेशन की राशि की 70% राशि की बैंक गारण्टी, परफोरमेंस सिक्योरिटी के रूप में जमा कराई जाए। संतोषजनक कार्य किये जाने पर बैंक गारण्टी, 12 माह की अवधि के उपरांत विमुक्त की जाये। कार्य में सुधार की आवश्यकता होने पर इसी राशि से निकाय सुधार करा सकेगी एवं शेष राशि वापस करेगी।

8. नगरीय निकाय की अन्य यूटिलिटीज से संभावित क्षति एवं उसके उपयुक्त सुधार हेतु सड़क रेस्टोरेशन लागत की 30% राशि, सुरक्षा निधि के रूप में अतिरिक्त बैंक गांरटी के तौर पर जमा करायी जाए। अन्य यूटीलिटी यथा पाइप लाइन, सीवर लाइन, केबिल/विद्युत लाइन इत्यादि का सुधार, रेस्टोरेशन के पूर्व खुदाई वाली एजेंसी करेगी। यदि एजेंसी द्वारा पाई गई खराबी का सुधार नहीं किया जाता है तो इस 30% सुरक्षा निधि की बैंक गारंटी को राजसात कर इसका सुधार कराया जाये, शेष राशि रेस्टोरेशन कार्य के तुरंत बाद वापस की जाए।

उपरोक्तानुसार दिशा–निर्देशों के अधीन नगरीय क्षेत्रों में गैस पाईप लाईन डालने की अनुमति समय–सीमा में जारी की जाए।
(संलग्न – प्रपत्र 01)

16.08.22

(आर. के. कार्तिकेय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
दिनांक 16/8/2022

क्र./एफ – 10–11/2022/18–2
/08/2022
प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी नगरीय विकास एवं आवास विभाग म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल ।
3. प्रमुख अभियंता, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल।
4. प्रमुख अभियंता, म.प्र. अर्बन डवलपमेंट कंपनी म.प्र. भोपाल ।
5. समस्त कलेक्टर म.प्र. ।
6. संयुक्त संचालक/ अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल।

16.08.22

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

(प्रपत्र – 01)

नगरीय निकाय एवं गैस वितरण कंपनी के मध्य किये जाने वाले अनुबंध की शर्तें

- CGD कंपनी द्वारा रोड़ कटिंग अनुमति के आवेदन के साथ जमा दस्तावेज जैसे कार्यादेश की प्रति, ले आउट प्लान तथा इसके अनुसार स्थलों की सूची, वर्क शेड्यूल प्लान इत्यादि इस अनुबंध का भाग रहेंगे।
- यथा संभव गैस पाईप लाईन सड़क के दोनो तरफ डाली जाये, जिससे घरों के कनेक्शन के लिये रोड़ क्रॉसिंग में रोड़ काटने से बचा जा सके। गैस पाईप लाईन यथासंभव सड़क के किनारे शोल्डर्स/फुटपाथ में डाली जाए।
- गैस पाईप लाईन रोड़ के शोल्डर/कच्चे स्थान/फुटपाथ पर डालना संभव न हो अथवा पाईप लाईन पक्के रोड़ पर ही डालने का विकल्प होने पर, रोड़ कटिंग के लिये रोड़ कटर का ही उपयोग किया जाए।
- रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्व से निर्मित सड़क/फुटपाथ के स्पेसिफिकेशन अनुसार ही किया जाए।
- रोड़ रेस्टोरेशन के विरूद्ध म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा रोड़ रेस्टोरेशन हेतु निर्धारित दरों अनुसार रेस्टोरेशन की राशि की 70% राशि की बैंक गारण्टी, परफोरमेंस सिक्योरिटी के रूप में जमा कराई जायेगी। संतोषजनक कार्य किये जाने पर बैंक गारण्टी, 12 माह की अवधि के उपरांत विमुक्त की जायेगी। कार्य में सुधार की आवश्यकता होने पर इसी राशि से निकाय सुधार करा सकेगी एवं शेष राशि वापस करेगी।
- नगरीय निकाय की अन्य यूटिलिटीज को संभावित क्षति एवं उसके उपयुक्त सुधार हेतु म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा रोड़ रेस्टोरेशन हेतु निर्धारित दरों अनुसार सड़क रेस्टोरेशन लागत की 30% राशि, सुरक्षा निधि के रूप में अतिरिक्त बैंक गांरटी के तौर पर जमा करायी जायेगी। अन्य यूटीलिटी यथा पाइप लाइन, सीवर लाइन, केबिल/विद्युत लाइन इत्यादि का सुधार, रेस्टोरेशन के पूर्व खुदाई वाली एजेंसी करेगी। यदि एजेंसी द्वारा पाई गई खराबी का सुधार नहीं किया जाता है तो इस 30% सुरक्षा निधि की बैंक गारंटी को राजसात कर इसका सुधार कराया जायेगा, शेष राशि रेस्टोरेशन कार्य के तुरंत बाद वापस की जा सकेगी।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग